4.2.21 पत्रावली पेश हुई

वादी वकील अनुपस्थित, वादिगण स्वयं भी उपस्थित नहीं हुए।

आज न्यायालय समय में पृथक-पृथक तीन बार आवाजें लगाई गई एवं अदालत खुले में पूरी एक बार पुनः आवाज लगाई गई कि उपरांत भी वादिगण एवं उनके वकील में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने से जाहिर होता है कि वे वाद में पैरवी नहीं करना चाहते हैं और ना ही आदेशिका तक प्रतिवादिगण की तरफ से पालना प्रस्तुत की है।

लिहाजा वादिगण एवं उनके वकील की अनुपस्थिति में वाद की एक तरफा पैरवी एवं अग्रिम सुनवाई में दाखिल किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी